डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 65/2017

वादीगण

1– ज्ञान कुँवर पत्नि श्री रतनसिंहजी
2– कैलाशकुँवर पत्नि श्री रामसिंहजी
3– रेखा कुँवर पत्नि श्री अर्जनसिंहजी
सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत
पेशा खेती/गृहकार्य नि. बाल्दा (राजपुरा)
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादी

1– माधोसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
2– नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
3– भारतसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
4– श्रीमति सायरकुंवर पत्नि सवाईसिंहजी
5– कुबेरसिंह पुत्र केसरसिंहजी
6– बागसिंह पुत्र केसरसिंहजी
7– गोपालसिंह पुत्र केसरसिंहजी
8– खीमसिंह पुत्र केसरसिंहजी
9– इन्दरसिंह पुत्र उम्मेदसिंहजी
10–हरिसिंह पुत्र उम्मेदसिंहजी मृतक के वारिसान कायम मुकाम
10/1–महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंहजी
10/2–श्रीमती जसुबां बेवा हरिसिंह जी
11–श्रीमति सज्जनकुंवर पत्नि उम्मेदसिंहजी
12– भगवतसिंह पुत्र अनोपसिंहजी
13– मनीषा देवडा पुत्री अनोपसिंहजी
14– नेहाकुँवर पुत्री अनोपसिंहजी
15– निरजकुंवर पत्नि अनोपसिंहजी
16– कुसुमकुँवर पुत्री नाहरसिंहजी
17– कमला कुँवर पुत्री श्री मेगसिंहजी
18– कुबेरसिंह पुत्र केसरसिंहजी
19– बागसिंह पुत्र केसरसिंहजी
20– गोपालसिंह पुत्र केसरसिंहजी
21– खीमसिंह पुत्र केसरसिंहजी
22– पेपकुवर पुत्री केसरसिंहजी
23– तारकुँवर पुत्री केसरसिंहजी
24– एवनकुँवर पुत्री श्री केसरसिंजी
25– भेरसिंह पुत्र भोमसिंहजी
26– दलपतसिंह पुत्र भवानीसिंहजी
27– लाडकुँवर पुत्री श्री भवानीसिंहजी
28– भीखसिंह पुत्र रावतसिंहजी
सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत नि. बाल्दा (राजपुरा) तहसील व जिला सिरोही
29– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत
वास्ते विभाजन कृषि आराजी व प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित तथा वादीगण के वकील श्री हंसराज पुरोहित तथा प्रतिवादीगण के वकीलन श्री राजेन्द्रसिंह आढा तथा पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) दौराने सुनवाई उपस्थित । जिन्होने विचारण प्रकरण मे अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । वकील उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद अर्न्तगत धारा 53 ,188 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन व प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाल्दा (राजपुरा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील व जिला सिरोही मे कृषि बेरानामे हुबरावा व उसकी आराजी वादीगण संख्या 1 से 3 तक तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 28 तक संयुक्त मालकी एवं कब्जे काश्त की वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 219 ,220 ,221 ,222 ,336 ,338 ,339 ,341 ,342 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ,349 ,350 ,355 , कुल खसरा 17 कुल रकबा 8.0100

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-2

हैक्टेयर मय कुंआ आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय कुआ राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे वादीगण संख्या 1 से 3 तक व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 तक के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तथा उभय पक्षकारान सहखातेदार व सहकृषक है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारन के दर्जहक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे अनुसार व खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार कुऐ से पानी लेने की ढींची कायम करते हुये खातेदारो की उपस्थिति मे उनकी सहमति अनुसार वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार कर एक माह मे इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । यह प्राथमिक डिक्री बदस्तखत मेरे पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी की गई ।

मुद्वाई   रू   पैसे

स्टॉम्प अरजी दावा

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प वजह सबूत

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

मुतफरीक

बाबत इजराय हुक्मनामा

मौजान

मुद्वायलाह   रू   पैसे

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प अरजी

महन्ताना वकील

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

बाबत ईजराय हुक्मनामा

मुतफरीक

मौजान

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)

सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 65/2017

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

वादीगण:

1– ज्ञान कुँवर पत्नि श्री रतनसिंहजी
2– कैलाशकुँवर पत्नि श्री रामसिंहजी
3– रेखा कुँवर पत्नि श्री अर्जनसिंहजी
सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत
पेशा खेती/गृहकार्य नि. बाल्दा (राजपुरा)
तहसील व जिला सिरोही

प्रतिवादीगण:

1– माधोसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
2– नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
3– भारतसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
4– श्रीमति सायरकुँवर पत्नि सवाईसिंहजी
5– कुबेरसिंह पुत्र केसरसिंहजी
6– बागसिंह पुत्र केसरसिंहजी
7– गोपालसिंह पुत्र केसरसिंहजी
8– खीमसिंह पुत्र केसरसिंहजी
9– इन्दरसिंह पुत्र उम्मेदसिंहजी
10–हरिसिंह पुत्र उम्मेदसिंहजी मृतक के वारिसान कायम मुकाम
10/1–महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंहजी
10/2–श्रीमती जसुबां बेवा हरिसिंह जी
11–श्रीमति सज्जनकुंवर पत्नि उम्मेदसिंहजी
12– भगवतसिंह पुत्र अनोपसिंहजी
13– मनीषा देवडा पुत्री अनोपसिंहजी
14– नेहाकुँवर पुत्री अनोपसिंहजी
15– निरजकुँवर पत्नि अनोपसिंहजी
16– कुसुमकुँवर पुत्री नाहरसिंहजी
17– कमला कुँवर पुत्री श्री मेगसिंहजी
18– कुबेरसिंह पुत्र केसरसिंहजी
19– बागसिंह पुत्र केसरसिंहजी
20– गोपालसिंह पुत्र केसरसिंहजी
21– खीमसिंह पुत्र केसरसिंहजी
22– पेपकुवर पुत्री केसरसिंहजी
23– तारकुँवर पुत्री केसरसिंहजी
24– एवनकुँवर पुत्री श्री केसरसिंजी
25– भेरसिंह पुत्र भोमसिंहजी
26– दलपतसिंह पुत्र भवानीसिंहजी
27– लाडकुँवर पुत्री श्री भवानीसिंहजी
28– भीखसिंह पुत्र रावतसिंहजी
सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत नि. बाल्दा (राजपुरा) तहसील व जिला सिरोही
29– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– वादीगण की ओर से वकील श्री हंसराज पुरोहित
2– प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत
वास्ते विभाजन कृषि आराजी एवं प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय — दिनांक –1–2020

वादीगण ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अ.धा. 53,188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 तक का वास्ते विभाजन कृषि आराजी एवं प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 20–7–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाल्दा (राजपुरा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे कृषि बेरानामे हुबरावा व उसकी आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 के संयुक्त खातेदारी मालकी एवं कब्जे काश्त की आराजी आई हुई है। जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि :–

खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
99	219	2.0100	चाही	38.15

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 2

220	0.0700	गै.मु.चाह कुंआ	
221	1.1100	चाही	21.09
222	1.5500	चाही I	29.45
336	0.2800	बारानी I	0.84
338	0.3600	बारानी I	1.08
339	0.1600	बारानी I	0.48
341	0.3700	बारानी I	1.11
342	0.1600	बारानी I	0.48
344	0.1300	बारानी I	0.39
345	0.1600	बारानी I	0.48
346	0.2900	बारानी I	0.87
347	0.2400	बारानी I	0.72
348	0.2100	बारानी I	0.63
349	0.1600	बारानी I	0.48
350	0.1500	बारानी I	0.45
355	0.600	चाही I	11.40

कुल खसरा 17 कुल रकबा 8.0100 हैक्टेयर

उपरोक्त राजस्व खाता संख्या 99 चालू जमाबंदी (खतौनी) ग्राम बाल्दा (राजपुरा) पटचार हल्का बाल्दा तहसील व जिला सिरोही की कसंवत 2070 से 2073 तक की प्रमाणित प्रति मय नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ संलग्न है। वादपत्र मे वर्णित कृषि बेरा मय आराजी मे वादीगण का 1/6 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/3 ,प्रतिवादी संख्या 5 से 8 का 1/12 प्रतिवादी संख्या 9 का 1/48 प्रतिवादी संख्या 10 का 1/48 प्रतिवादी सं. 11 का 1/48 प्रतिवादी संख्या 12 से 15 का 1/48 प्रतिवादी संख्या 16 का 1/48 प्रतिवादी संख्या 17 का 3/48 प्रतिवादी संख्या 18 से 25 का 1/12 प्रतिवादी संख्या 26 का 1/12 प्रतिवादी संख्या 27 का 1/36 प्रतिवादी संख्या 28 का 1/18 हक हिस्सा है। पक्षकारान वर्णित कृषि बेरे मय आराजी के संयुक्त एवं सहकृषकगण है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जिनका उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी मय बेरा खसरा संख्या 219 से 222 ,336,338,39,341,342,344 से 350,355 कुल खसरा नंबर 17 कुल रकबा 8.0100 हेक्टेयर मे 1/3 हक हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। वादीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी के हक हिस्से मे 1/6 की कृषि आराजी को चुनौती सदेकर कृषि कार्य करने दखलंदाजी करते है तथा आवाजाही मे भी रूकावट पैदा कर शान्तिपूण्र तरीके से कृषि कार्य करने मे विध्न पैदा करते है तथा संयुक्त रूप से कृषि कार्य मे अच्छे खाद बीज लगाने पर भी सहमत नही है एवं बकाया संयुक्त खातेदारान प्रतिवादीगण खेती के प्रति उदासीन है इतना ही नही वरन् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जिनका वादग्रस्त कृषि आराजी मे 1/3 वां हक हिस्सा है संयुक्त कृषि आराजी मे कृषि भूमि का अकृषि रूपम` उपयोग उपभोग करने की बदनियति से निर्माण कार्य कर रहे हे। प्रतिवादी संख्या 3 भारतसिंह सा. बाल्दा मौके पर गत 15 दिनां से मकान निर्माण कार्य कर रहा है, जिसे बकाया प्रतिवादीगण बिना आराज का बंटवाड कराये अकृषि उपयोग हेतू समर्थन देते है। इस वास्ते वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से खेती करना एवं अपने निजी साधन इलेक्ट्रीक मोर्टस से सिंचाई हेतू पानी लेना लगभग असम्भव हो गया है। वादीगण महिला होने से प्रतिवादीगण सहकाश्तकार उन्हे बेदखली की भी धमकी देते है। इस वास्ते वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मय बेरा कृषि भूमि के राजस्व अधिकार अभिलेख मे दर्ज पक्षकारान के हक हिस्सो के अनुसार बंटवाड के साथ साथ स्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्त हेतू यह वादपत्र पेश है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त कृषि आराज मय बेरा नामे हुबरावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 के मध्य उनके ग्राम बाल्दा (राजपुरा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील व जिला सिरोही के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खाता संख्या 99 मे दर्ज एवं वाद पर संख्या 2 मे दर्ज हक हिस्सों के अनुसार मौके पर नाप व सीमांकन कर उन्हे अपने स्वतंत्र हक हिस्से पर काबिज कराने की डिकी तथा राजस्व रेकर्ड मे माफिक बंटवाड प्रस्ताव दुरूस्ती कराने की आज्ञा प्राप्त करने की डिकी तथा प्रश्नगत कृषि आराजी मे स्थित सिंचाई हेतू बेरा खसरा नंबर 220 गैरमुमकिन चाह कुंआ से स्वतंत्र साधन से पानी लेने हेतू ढींची हक हिस्से के अनुसार कायम करने की डिकी तथा वादीगण के 1/6 हक हिस्से मे आई स्वतंत्र कृषि आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय उनके प्रतिनिधि/एजेण्ट भी प्रकार की दखलंदाजी नही करे तथा शान्तिपूर्ण कृषि करने पर आवाजाही करने एवं रूकावट न डाले इस हेतू स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान करावें ।

इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 14—10—2019 को वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 9 व 11 ता 17 और प्रतिवादी संख्या 22 ता 25 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीगण को उपलब्ध कराई गई । उक्त प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के माध्यम से यह निवेदन किया कि वाद पद संख्या 1 का कथन सही होने से

Continue Page No3

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

स्वीकार है तथा वाद पद संख्या 2 मे दर्ज कथन के जवाब मे निवेदन है कि पक्षकारान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदारी हक हिस्सेअनुसार काबिज काश्त है। वाद पद संख्या 4 व 5 मे दर्ज कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि का पूर्व रसाधिकारियों के बीच आपस मे मौखिक बंटवाड हो चुका था एवं पक्षकारान उसी बंटवाड अनुसार अपने हक हिस्से मे आई कृषि भूमि पर कदीम से काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे विसनसिंह,भवानीसिंह,भीकसिंह पिसरान रावतसिंहजी ने एक वाद सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही के न्यायालय मे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जो वाद संख्या 39/98 पर दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 27–12–2000 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबंध मे बंटवाड प्रसताव मंगवाये गये थे जो पक्षकारान के बीच पूर्व मे हुये बंटवाड व मौके पर कब्जा काश्त को देखते हुये दिनांक 28–2–2001 को प्रस्ताव तैयार कर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही को भेजे गये थे उसी अनुसार पक्षकारान मोके पर काबिज काश्त है एवं इस खसरा नंबरान मे आने जाने हेतू रास्ते कायम किये हुये है तथा गै.मु. बेरा व रास्ते पक्षकारान के शामलाती हक हिस्से मे रखे गये थे तथा शेष पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी ने कभी भी वादीगण के हक हिस्से मे दखलंदाजी नही की है। वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण पैदा नही होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 9 व 11 ता 17 और 22 ता 25 का निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मय खर्चे खारिज करवाना फरमावें व बाद सुनवाई पक्षकारान बंटवाड कराना उचित माने उस हालत मे प्रतिवादीगण का निवेदन है कि पक्षकारान के बीच पूर्व मे हुये बंटवाड एवं मौके पर पक्षकारान द्वारा काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बंटवाड किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 7–1–2020 को वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 29 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने हाजिर होकर प्रकरण मे सीधी अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से वकील उभय पक्षकारान व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण ने दौराने अंतिम बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान के हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मोके पर कब्जे अनुसार तथा वादग्रस्त कृषि आराजी मे स्थित सिंचाई हेतू बेरा खसरा नंबर 220 गैर मुमकिन चाह कुंआ से स्वतंत्र साधन से पानी लेने हेतू ढींची हक हिस्से अनुसार कायम करने की डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिरोही से मंगवाये जावें । प्रतिवादी संख्या 29 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालंद्री) ने दौराने बहस कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि खातेदारो की निजी है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वकील पक्षकारान की उक्तानुसार सहमति के आधार पर विभाजन किया जाता है तो उससे किसी प्रकार की राजस्व हानि या राजहित प्रभावित नही होगा ।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वकील उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद अर्न्तगत धारा 53 ,188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन व प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाल्दा (राजपुरा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील व जिला सिरोही मे कृषि बेरानामे हुबरावा व उसकी आराजी वादीगण संख्या 1 से 3 तक तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 28 तक संयुक्त मालकी एवं कब्जे काश्त की वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 219 ,220 ,221 ,222 ,336 ,338 ,339 ,341 ,342 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ,349 ,350 ,355 , कुल खसरा 17 कुल रकबा 8.0100 हैक्टेयर मय कुंआ आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय कुआ राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे वादीगण संख्या 1 से 3 तक व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 तक के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तथा उभय पक्षकारान सहखातेदार व सहकृष्क है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारन के दर्जहक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे अनुसार व खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार कुऐ से पानी लेने की ढींची कायम करते हुये खातेदारो की उपस्थिति मे उनकी सहमति अनुसार वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार कर एक माह मे इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । तदानुसार प्राथमिक डिकी जारी हो । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 7–1–2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.20 13:32:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: